मैसर्स बिहार कॉस्टिक एंड केमिकल्स लिमिटेड,

बनाम

कृपा पांडे

(सिविल अपील संख्या 1389/2001)

18 जनवरी 2008

(डॉ.अरिजीत पसायत और पी. सदाशिवम, जे.जे.)

श्रम विधियाँ: औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा एस.एस.2(एस) एवं 10

सेवा समाप्ति- कंपनी की सेवा करे वाले ठेकेदार द्वारा नियुक्त श्रमिक - कंपनी द्वारा श्रमिक की सेवाओं की समाप्ति- निर्धारित किया गया:- अपीलार्थी का विशिष्ट कथन यह रहा कि प्रत्यर्थी उसका कर्मचारी नहीं था, बल्कि ठेकेदार का कर्मचारी था, आदेश देते समय न तो श्रम न्यायालय और न ही उच्च न्यायालय द्वारा इस पर विचार किया गया। चूंकि कर्मचारी बहाल हो गया है और उसके बाद सेवानिवृत्त हो गया है, इसलिए श्रम न्यायालय के आदेश के अनुसार उसे पिछली मजदूरी का केवल 50 प्रतिशत भुगतान करने का निर्देश देकर न्याय की सबसे अच्छी सेवा की जाएगी- निर्देश जारी किए गए - अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970-श्रमिकों से संबंद्ध

प्रत्यर्थी के अनुसार, वह अपीलकर्ता के कारखाने में एक निश्चित अवधि के लिए लगातार काम कर रहा था और कथित तौर पर उसकी सेवाऐं अपीलकर्ता कंपनी द्वारा समाप्त कर दी गई थी। विवाद प्रश्न को निर्णय के लिए श्रम न्यायालय में भेजा गया था। श्रम न्यायालय ने माना कि संबंधित श्रमिक की सेवाओं की समाप्ति अवैध और अनुचित थी, और यह कि प्रत्यर्थी दावे की स्थापना की तारीख से बहाली और बकाया वेतन का हकदार था। कंपनी द्वारा दायर रिट याचिका को उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया था। लेटर्स पेटेंट अपील को उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया था। इसलिए हस्तगत अपील पेश हुई।

अपीलकर्ता ने कथन किया कि अपील के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी को बहाल कर दिया था और उसे दिनांक 06.03.2006 को सेवानिवृत्त कर दिया था, और यह भी कथन किया कि बकाया वेतन के भुगतान के लिए उच्च न्यायालय का निर्देश उचित नहीं था।

अपील को न्याालय द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

अभिनिर्धारण- उच्च न्यायालय में इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये प्रतिवादी के ठेकेदार के कर्मचारी होने के बारे में अपीलकर्ता के विशिष्ट कथन पर श्रम न्यायसालय और उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया था, सामान्य स्थिति में इस न्यायालय ने उस पर विचार करने के

लिए मामले को उच्च न्यायालय को वापस भेज दिया था। लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि प्रत्यर्थी सेवानिवृत्त हो गया है, न्याय का सबसे अच्छा उद्धेश्य तभी होगा यदि श्रम न्यायालय न्यायालय के अवार्ड के संदर्भ में पिछले वेतन का 50 प्रतिशत प्रत्यर्थी को भुगतान किया जावें। यदि पिछली मजदूरी के रूप में कोई भुगतान पहले ही किया जा चुका है, तो उसे इस आदेश के अनुसार देय राशि से समायोजित किया जावेगा।

(पैरा-9){921-ए-सी}

सिविल अपील क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1389/2001

उच्च न्यायालय, पटना रांची बैंच रांची रांची के इन एलपीए नंबर 484(आर)/1999 मे अंतिम निर्णय व आदेश दिनांक 29.06.2000 से

अपीलार्थी कर्मचारी की ओर से अशोक ग्रोवर, प्रवीण कुमार

आर.आर.दुबे, पवन उपाध्याय, संतोष मिश्रा, शिव मंगल शर्मा, रोहित यादव, शुभ्रा गोयल और शर्मिला उपाध्याय प्रत्यर्थीगण की ओर से।

इस न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया -

डॉ.अरिजीत पसायत, जे.

1. इस अपील में पटना उच्च न्यायालय की डिविजन बैंक के फैसले को चुनौती दी गई, जिसमें अपीलार्थी द्वारा दायर लेटर्स पेटेंट अपील को खारिज कर दिया था, लेटर्स पेटेंट अपील में चुनौती उक्त उच्च न्यायालय के विद्वान

एकल न्यायाधीश के फैसले को दी गई थी। इसके अलावा श्रम न्यायालय में चुनौती दी गई थी जो प्रकरण संख्या 41/85 द्वारा दी गई थी। प्रत्यर्थी ने अन्य बातों के अलावा अवैध समाप्ति का आरोप लगाते हुये यह विवाद प्रश्न उठाया था कि उनके अनुसार वह अपीलार्थी की फेक्ट्री में दिनांक 01.08.1983 से दिनांक 12.08.1984 तक लगातार काम कर रहा था और उसे बिना किसी कारण के दिनांक 21.09.1984 को सेवा से हटा दिया था। और निम्नलिखित विवाद प्रश्नों को श्रम न्यायालय के समक्ष न्याय निर्णयन के लिए संदर्भित किया था:-

> ‘‘क्या प्रबंधन द्वारा श्री कृपा पांडे ड्इर्वर की सेवा की समाप्ति वैद्य व उचित है? यदि नहीं तो क्या वह बहाली या अन्य किसी अनुतोष का हकदार हैै?"

2. उपरोक्त संदर्भित अधिसूचना दिनांक 01.11.1985 द्वारा किया गया था। श्रम न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी का यह कथन था कि 1981 से 1984 की अवधि के दौरान जब अपीलकर्ता का कारखाना निर्माणाधीन था, उसने कारखाने के निर्माण के लिए विभिन्न कार्याे के उद्धेश्य से मेसर्स मिश्रा ब्रदर्स सहित कई ठेकेदारों को नियुक्त किया था। उपरोक्त अवधि के दौरान उक्त ठेकेदार जो लाईसेंस डीड दिनांक 13.03.1982 द्वारा श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 (संक्षिप्त अनुबंध श्रम अधिनियम के लिए) के प्रावधानों के तहत अनुबंध श्रमिक को नियुक्त करने

के लिए अधिकृत था, ने प्रत्यर्थी को ट्रेक्टर चालक के रूप में नियुक्त किया। यह अपीलकर्ता का मामला था कि किसी भी समय प्रत्यर्थी उसका कर्मचारी नहीं था और उनके बीच नियोक्ता और कर्मचारी का कोई संबंध नहीं था। अपीलार्थी द्वारा कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया था। प्रत्यर्थी को ठेकेदार से वेतन मिलता था। 1984 में कार्य का निर्माण पूरा होने के बाद, अपीलकर्ता को ठेकेदार की सेवाओं की आवश्यकता नहीं थी और बदले में ठेकेदार को उसके द्वारा नियुक्त प्रत्यर्थी सहित कर्मचारीयों की सेवाओं की आवश्यकता नहीं थी।

3. श्रम न्यायालय के समक्ष दायर लिखित कथन में उपरोक्त दलील दी गई थी और यह कहा गया था कि प्रत्यर्थी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 2(एस) के अर्थ के तहत एक श्रमिक नहीं था और,इसलिए, जैसा कि संदर्भ दिया गया था, कानून में बनाए रखने योग्य था। इससे पहले श्रम न्यायालय के समक्ष ठेकेदार को भी परीक्षित किया गया और उसने बयान दिये थे कि प्रत्यर्थी उसके अनुबंध के तहत काम कर रहा था और वह उसके द्वारा नियोजित किया गया था और इसलिए, उसने उसे मजदूरी का भुगतान किया। गेट पास पर साफ लिखा था कि वह ठेकेदार का कर्मचारी है।

4. श्रम न्यायालय ने माना कि सेवा समाप्ति अवैध और अनुचित थी और प्रत्यर्थी दावा शुरू होने की दिनांक 28.11.1985 से बहाली और बकाया वेतन का हकदार था।

5. उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की गई थी और जैसा कि उपर उल्लेख किया गया है, इसे विद्वान एकल न्यायाधीश ने खारिज कर दिया था। डिवीजन बेंच ने लेटर्स पेटेंट अपील को खारिज कर दिया।

6. अपील के समर्थन में, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क प्रस्तुत किया कि ठेकेदार द्वारा नियोजित किए जाने के संबंध में अपीलकर्ता द्वारा की गई याचिका पर कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है और याचिका पर विचार नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, जब इस न्यायालय में छूट प्रदान की और रोक को बकाया वेतन के भुगतान तक सीमित कर दिया गया, तो प्रतिवादी को दिनांक 21.03.2001 को बहाल कर दिया गया और दिनांक 06.03.2006 को सेवानिवृत्त कर दिया गया। उनके अपने मामले के अनुसार, उन्हें प्रतिमाह 400/-रूपये मिलते थे। यह अविश्वसनीय है कि वह कहीं और कार्यरत नहीं था। इसके अलावा, रिट याचिका और लेटर्स पेटेंट अपील के लंबित रहने के दौरान, धारा 17-बी के संदर्भ में भुगतान किया जा रहा था। इसलिए यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि बकाया वेतन दिलाने का आदेश उचित नहीं है।

7. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने कथन किया कि अपीलकर्ता की इस दलील पर कि प्रत्यर्थी लाभकारी रूप से नियोजित था, एक जांच की गई और यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्रत्यर्थी लाभकारी रूप से नियोजित था।

8. कुछ तारीख का उल्लेख करना आवश्यक है -

संदर्भ तिथि दिनांक 01.11.1985 है और मामला श्रम न्यायालय द्वारा दिनांक 20.11.1985 को दर्ज किया गया था। अवार्ड दिनांक 28.07.1989 है। यह दिनांक 30.10.1989 को प्रकाशित हुआ था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 07.10.1999 को रिट याचिका खारिज कर दी और लेटर्स पेटेंट अपील दिनांक 29.06.2000 को खारिज किया गया है।

9. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि प्रत्यर्थी के ठेकेदार के कर्मचारी होने के बारे में अपीलकर्ता के विशिष्ट कथन पर श्रम न्यायालय और उच्च नयालय द्वारा विचार नहीं किया गया था, सामान्य स्थिति में हम मामले को उसी बिन्दु पर विचार करने हेतु उच्च न्यायालय को भेज दे। परन्तु इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि बहाली के बाद प्रत्यर्थी सेवानिवृत्त हो गया है, न्याय की सबसे अच्छी सेवा तब होगी जब श्रम न्यायालय के अवार्ड के संदर्भ में पिछले वेतन का 50 प्रतिशत प्रत्यर्थी को भुगतान किया जावें। भुगतान तीन माह के भीतर किया जावे। यदि पिछली मजदूरी के रूप

में कोई भुगतान पहले ही किया जा चुका है, तो उसे इसमें से समायोजित किया जाएगा।

10. कॉस्ट के संबंध में बिना किसी आदेश के उपरोक्त सीमा तक अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी दिनेश कुमार गढवाल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।